इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2013—ज्येष्ठ 17, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच (31).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 84-क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह उपबंध करती है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों के संबंध में कोई संपरीक्षा रिपोर्ट :—

(एक) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि (टर्न ओवर) दस करोड़ रुपए से अधिक है, प्ररूप 41-क में इलैक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिये गये अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी;

(दो) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि (टर्न ओवर) दस करोड़ रुपए तक है, प्ररूप 41-क में इलैक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी;

2. इलैक्ट्रॉनिक रूप में संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ऐसे प्ररूप में, जैसा कि आयुक्त द्वारा वेब पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए, संपरीक्षा रिपोर्ट का सत्यापन प्रस्तुत करेगा.

3. उक्त नियमों के नियम 54 के उपबंध ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1(31).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-14-2010-1-पांच (31), दिनांक 7 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 7th June 2013

No. F-A-3-14-2010-1-V (31).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 84-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that an audit report pertaining to the periods, which starting on or after 1st April, 2012:—

(i) shall be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is more than rupees ten crores, electronically in Form 41-A without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal;

(ii) may be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is upto rupees ten crores, electronically in Form 41-A without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal.

2. After furnishing the audit report electronically, the registered dealer shall submit verification of the audit report in such Form as may be specified by the Commissioner on the web portal.

3. The provisions of Rule 54 of the said rules shall mutatis mutandis apply to such audit report.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.